रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168] नई दिल्ली, बुधवार, मई 9, 2018/वैशाख 19, 1940
No. 168] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 9, 2018/VAISAKHA 19, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2018

सं. 04/2015–2020

विषय : प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के पैरा 2.54 (घ) (v) (iv) में संशोधन।

फा. सं. 01/89/180/53/एएम–01/पीसी–2[ख]/खण्ड VII/ई–2382.—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा पैरा सं० 2.54 (घ) (v) (iv) को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

मौजूदा पैरा 2.54 (घ) (v) (iv)	*संशोधित पैरा 2.54 (घ) (v) (iv)*
उपरोक्त के बावजूद, आयात खेप, उद्गम देश से पूर्व–निरीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अधीन होगी। तथापि, पूर्व–पोतलदान निरीक्षण प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) की आवश्यकता की अखंडित धात्विक स्क्रैप के आयात से संबंधित जोखिम के आकलन पर आधारित अखंडित धात्विक स्क्रैप के आयात की निकासी को नियंत्रित करने वाले उपरोक्त तंत्र के प्रचालन के साथ समीक्षा की जाएगी।	धात्विक अपशिष्ट और स्क्रैप की आयात खेप उद्गम देश से पूर्व–निरीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अधीन होगी। तथापि, सुरक्षित देशों/क्षेत्र अर्थात् यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ से आयातित धात्विक अपशिष्टों और स्क्रैपों (खंडित और अखंडित दोनों) को पूर्व–पोतलदान निरीक्षण प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) की आवश्यकता नहीं होगी, यदि खेपों की निकासी छह (6) पत्तनों नामतः चेन्नई, तुतीकोरिन, कांडला, जेएनपीटी, मुम्बई और कृष्णापट्टनम के माध्यम से की जाती है। इन पाँच देशों/क्षेत्रों से आने वाली खेपों के साथ आपूर्तिकर्ता/स्क्रैप यार्ड प्राधिकारी का प्रमाणपत्र होना चाहिए जिसमें यह उल्लेख होना चाहिए कि इसमें कोई रेडियोधर्मी सामग्री/विस्फोटक मौजूद नहीं है। हालांकि ये इन पत्तनों

	पर पोर्टल मॉनिटरों और कंटेनर स्कैनर के जरिए विकिरण और विस्फोटक जाँचों के अधीन होंगी। इन देशों/क्षेत्रों के जरिए पोतांतरणों को यह सुविधा नहीं दी जाएगी। उद्गम देश पर ध्यान किए बिना नौ (9) पत्तनों (अखंडित स्क्रैप/अपशिष्ट के लिए) सहित सभी अन्य पत्तनों के जरिए आयात पीएसआईसी के अधीन होगा।

2. इस अधिसूचना का प्रभाव : छह पत्तनों, जहां पोर्टल मॉनीटर और कंटेनर स्कैनर चालू हैं, के माध्यम से सुरक्षित देशों से धात्विक अपशिष्ट और स्क्रैप के आयात के लिए पीएसआईसी की आवश्यकता को समाप्त किया जाता है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th May, 2018

No. 04/2015-2020

Subject: Amendment of Para 2.54 (d)(v)iv in Handbook of Procedures, 2015-2020.

F. No. 01/89/180/53/AM-01/PC-2[B]/Vol.VII/E-2382.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby amends the para No. 2.54 (d)(v) (iv) as under:

Existing para 2.54(d)(v)(iv)	**Amended para 2.54(d)(v)(iv)**
Notwithstanding the above, import consignments shall be subject to pre-inspection certificate from the country of origin. However, requirement of Pre-Shipment Inspection Certification (PSIC) will be reviewed with the operationalisation of the above mechanism governing the clearance of imports of un–shredded metal scrap, based on assessment of risk associated with un-shredded metal scrap imports.	Import consignments of metallic waste and scrap shall be subject to pre-inspection certificate (PSIC) from the country of origin. However, metallic waste and scrap (both shredded and unshredded) imported from safe countries/region i.e. the USA, the UK, Canada, New Zealand, Australia and the EU will not require PSIC if consignments are cleared through six (6) ports namely, Chennai, Tuticorin, Kandla, JNPT, Mumbai and Krishnapatnam. Consignments from these five countries / region will be accompanied by certificate from the supplier/scrap yard authority to the effect that it does not contain any radioactive materials/ explosives. These will however be subject to radiation and explosive checks through portal monitors and container scanner at these ports. Transshipments through these countries /regions will not be allowed this facility. Import through all other ports including nine (9) ports (for unshredded scrap/waste), irrespective of country of origin, will be subject to PSIC.

2. **Effect of this Notification :** Requirement of PSIC is dispensed with for import of metallic waste and scrap from safe countries through six ports where portal monitors and container scanners are operational.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.05.11 18:34:16 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.